

11/4/26

वादी अधिवक्ता द्वारा अर्जित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC पेश कर इस्त पत्रावली को पञ्चनाराय के मुख्य शर्जीनामा हो जाने से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करमाया जाकर पत्रावली को आप ही सुनवाई हेतु रखा जाये का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता की कहल एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को आप ही सुनवाई हेतु रखा गया। पत्रावली पेश हुई केबुलाय अधिवक्तागण एवं वादीगण उपस्थित। वादी अधि. डा. ए. अंतर्गत अडिटर 23 क्रिया। CPC पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधि. ने डा. ए. से बतलाया कि वादीगण उपरोक्त प्रकार से पञ्चनाराय के मुख्य शर्जीनामा हो जाने से उपरोक्त वाद को जरिये विद्दोल खातिज करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता की कहल को सुना गया जिस पर उत्तरीकी जेज्या। व 2 के अधि. द्वारा सहमति जादिर की गरी। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र O 23 R। CPC लीवर किया जाकर पत्रावली जरिये विद्दो खातिज की जाती है। पत्रावली फेमल रुम्बार होकर दखिल करद हो व नम्बर से कम हो।

Pranlal

मोहनी

पञ्चनाराय

सागायत
वकील वादीगण